

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

सुनील कुमार बनाम सुरजाराम आदि

दावा बाबत :- 88 R+Act

मुकदमा नम्बर :- 89/2021

निर्णय दिनांक :- 27-10-2021

वादी की ओर से वकील विनीय पुनिया की व प्रतिवादी सं0.1.01.3 की ओर से वकील अमर मोहनसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.10.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही मोजा मोमनवास के खाता सं0 76/75 के खसरा सं0 38, 40, 85, 86, 126, 138 कुल 17.350 हे वारावी खेतदारों में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 0.500 हे व रोही मोमनवास के खाता सं0 80/78 के खसरा सं0 27, 28, 29, 30, 31, 32, 72, 109, 116, 129, 130, 180 व 82 कुल 51.127 हे वारावी खेतदारों में प्रतिवादी सं0 के नाम सं0 1/20 हिस्सा रोही मोमनवास के खाता सं0 79/77 के खसरा सं0 102/2 की 1/20 हिस्सा वारावी खेतदारों में प्रतिवादी सं0 के नाम 1/5 हिस्सा राजस रिकॉर्ड में पेश है उसे प्रतिवादी सं0 1 के पक्षे वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के बहिस्सा वारावी खेतदारों का बहाल कर के पेश किया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में लमाया कर मुझे कर लिया है इसलिए लमाया कि पक्षे हिस्से पर देजीपन किया जावे कि देम पंजीपन मुझे एवं स्याम्य उपम्य मुदा करे व यदि किये मुझे वक के रखे दोती खसरा मुके हने के उपरान्त ही राजस रिकॉर्ड के अमुदा दराजद किधा जावे/ रापी नाम का डिक्री का काया पठा जावे खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

कैम्प कोर्ट प्रशासन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

संग अ-2021

मोहनसरा